राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 मार्च, 1982

क्रमांक **168-ज-I-82/9900.**—हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1257-ज-I-79/35964, दिनांक 4 सितम्बर, 1979, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1979 को प्रकाशित की गई है में क्रमांक एक पर "श्री राजा राम" की बजाये "राजा सिंह" पढ़ा जाये।

दिनांक 23 मार्च, 1982

क्रमांक **116-ज(I)-82/10001.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती करतार कौर, विधवा श्री भाग सिंह, गांव कोडमां खुर्द, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

क्रमांक **59-ज-(I)-82/10006.**—श्री मामन सिंह, पुत्र श्री हेम राज, गांव लवन, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 1 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मामन सिंह को मुल्लिक 300 रुपए वार्षिक जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2540-र-4-67/2475-ए, दिनांक 25 जुलाई, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब अब उसकी विधवा श्रीमती गिन्दोडी देवी के नाम रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **144-ज(I)-82/10010.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती ईशर कौर, विधवा श्री सरदार सिंह, गांव खान अहमदपुर, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ 1973 तक 150 रुपये वार्षिक 1974 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **148-ज(II)-82/10027.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री ध्यो चन्द, पुत्र श्री अमी लाल, गांव टांडाहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **146-ज(II)-82/10031.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती छन्नो देवी, विधवा श्री चन्दर सिंह, गांव भदाना, तहसील व ज़िला सोनीपत, को रबी, 1972 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **147-ज(II)-82/10035.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री घासी राम, पुत्र श्री शहजाद, गांव चिड़ी, तहसील व जिला रोहतक, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।